न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 151/2009(आरसीएमएस संख्या : 2009/00142)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र हरनाथ, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम कालवाड, तहसील–जयपुर।
2. अलका मीना पत्नी रामस्वरूप मीना, निवासी–74, रामनाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
3. कमल मीना पुत्र बत्तूलाल मीना, निवासी–85, चमनबाडी, कालवाड रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

<u>निर्णय</u> दिनांक : 21.10.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम कालवाड़ की आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा में से 3 बीघा रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ, कौम–धानका, साकिन देह के हक में दिनांक 08.06.1976 को नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–407 रामस्वरूप के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने और विक्रय के फलस्वरूप अप्रार्थी अलका मीना तत्पश्चात् कमल मीना की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम कालवाड़ की आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है। इस आराजी में से 3 बीघा रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ, कौम–धानका, साकिन देह के हक में दिनांक 08.06.1976 को नियमन / आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–407 रामस्वरूप के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने और विक्रय के फलस्वरूप अप्रार्थी अलका मीना तत्पश्चात् कमल मीना की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 520 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी में से 3 बीघा रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ को उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 08.06.1976 को नियमन / आवंटन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–407 के कॉलम सं0–14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन / आतंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी गैर–मुमकीन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी नियमन / आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है किं ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 08.06.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम / नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी की आराजी को दिनांक 08.06.1976 को रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ, जाति–धानका को नियमन / आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और

पश्चातवर्ती प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में नियमन/आवंटन एवं नियमन/आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 ग्राम कालवाड की खसरा नम्बर 520 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 35 बीघा 10 विस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है। इस आराजी में से 3 बीघा रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ, कौम–धानका के हक में नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–407 रामस्वरूप के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार हुआ हैं। खातेदार द्वारा विक्रय किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थीया अलका मीना के नाम नामान्तरकरण संख्या 1686 तथा तत्पश्चात् कमल मीणा पुत्र श्री बत्तुलाल मीणा को विक्रय किये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या 1978 स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में अप्रार्थी कमल मीणा का नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 08.06.1976 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकीन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी का नियमन/आवंटन रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ, जाति–धानका को दिनांक 08.06.1976 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–407 ग्राम–कालवाड़ से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 407 स्वीकार किया गया हैं और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता कमल मीणा के नाम नामान्तरकरण संख्या 1978 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के

अनुसार मकबूजा ठिकाना बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामत: उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त खसरा नम्बर 520 रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी वाके ग्राम–कालवाड़ में से 3 बीघा नियमन/आवंटन दिनांक 08.06.1976 बहक रामस्वरूप पुत्र श्री हरनाथ, जाति–धानका को निरस्त करने एवं इस नियमन/आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.12.2019 को प्रात: 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.10.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर